रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25072026-274796
CG-DL-W-25072026-274796

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 12—जुलाई 18, 2026, शनिवार/ आषाढ 21—आषाढ 27, 1948
No. 24] NEW DELHI, JULY 12—JULY 18, 2026, SATURDAY/ ASHADHA 21— ASHADHA 27, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 128.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, साईस भर्ती नियम, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में साईस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी साईस (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।
(1)	(2)	(3)	(4)
साईस।	31* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह “ग” अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (₹18,000-₹56,900)

चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।
(5)	(6)	(7)	(8)
लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	**आवश्यक:** किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य। **वांछनीय:** पशु प्रबंधन, अस्तबल प्रबंधन और घोड़े के	लागू नहीं होता।

	टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:** रोजगार कार्यालयों से अभ्यर्थियों की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	साज-सामान और सज्जा के रखरखाव मे अनुभव हो।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2 वर्ष। **टिप्पणः** केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित परीवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण	सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण:** पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी.- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हो ; और (ख) जो स्तंभ (7) के	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 1.उप निदेशक – अध्यक्ष; 2.सहायक निदेशक –सदस्य; 3.प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2 या श्रेणी-3 –सदस्य।	लागू नहीं होता।

अनिवार्य होगा।	अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हो।			

[फा. सं. 23011/37/2018-पीटी]

रंजीत कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th July, 2026

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Syce in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.─ **(1)** These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Syce (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**─ The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.**─ The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**─ No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**─ Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**─ Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other backward classes, the ex-Servicemen and other special categories of person, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Syce.	31* (2026) *(Subject to variation dependent on workload.)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 in the pay matrix (₹18,000-₹56,900).

Whether selection post or non-selection.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18 and 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh and the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	**Essential:** 10th class pass or equivalent from a recognised board. **Desirable:** Experience in animal management, stable management and maintenance of Saddlery and equipment.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	12)	(13)
Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two-week duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under the circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of Central Government,- **(a)** holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; and	Not applicable.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: - **1.** Deputy Director – Chairperson; **2.** Assistant Director – Member; **3.** Administrative Officer Grade-II or Grade-III – Member.	Not applicable.

	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).			

[F. No. 23011/37/2018-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हेड कांस्टेबल (घुड़सवारी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी)।	7* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 - 81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) में स्तर -2 में आठ साल की नियमित सेवा वाले विभागीय कांस्टेबल। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी; (i) सदृश पद या हैड कांस्टेबल (अश्वारोही पुलिस) धारण किए हुए; या (ii) कांस्टेबल (अश्वारोही) पुलिस जिन्हें मूल कैडर में प्रमोशन के लिए फिट ग्रेड दिया गया है।

			वांछनीय; (i) अश्वारोहण में 5 वर्ष तक का प्रशिक्षण अनुभव रखते हो। (ii) मान्यता प्राप्त घुड़सवारी स्पर्धाओं में विशिष्टताएं विजेता हो। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।	**ऐसी परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(12)	**(13)**
समूह - ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे – 1. उप निदेशक – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक – सदस्य; और 3. प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/30/2025-पीटी]

रंजीत कुमार साव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2026

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Head Constable (Riding), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Riding) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Head Constable (Riding) Group ‘C’ Post, Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the post, classification and level in pay matrix.—** The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Constable (Riding).	7* (2026) * Subject to variation dependent on work.	General central service Group-‘C’, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental constable with eight years regular service in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable.

Deputation: Officials from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or State Police Organisations;- (i) holding analogous post or Head Constable (Mounted Police); or (ii) Constable (Mounted) Police who have been graded fit for promotion in the parent cadre. **Desirable:** (i) upto five year of training experience in horse riding. (ii) winning distinctions in recognised Equestrian events. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The upper age-limit for the appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	promotion) consisting of: - 1. Deputy Director – Chairperson, 2. Assistant Director – Member, 3. Administrative Officer - Member.	

[F. No. 23011/30/2025-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि. 130.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान दिल्ली कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) नियम, 1988 के अधिक्रमण के संबंध में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम- 2026 हैं|

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स का स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है|

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स का स्तर**	**क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद**	**आयु- सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, अननुसचिवीय अराजपत्रित समूह 'ख'	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नही होता	30 वर्ष से अनधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशां या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पणी :** आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हता प्रोन्नति वाले मामले में लागू होगी।**
(7)	(8)
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय रहें हों या इन दोनों में से एक परीक्षा का माध्यम के रूप में रहा हो और दूसरा अनिवार्य या	लागू नहीं होता

वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो ; अथवा (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें अंग्रेजी या हिंदी माध्यम के रूप में रहा हो तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो ; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री, अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी को अनिवार्य या ऐच्छिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में ; या (v) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, जिसमे हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या ऐच्छिक विषय हो, या दोनों में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा अनिवार्य विषय हो । (ख) हिन्दी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के कार्यालयों में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी है, हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का अनुभव हो और कम्प्यूटर अनुप्रयोग का कार्य साधक ज्ञान या समतुल्य **टिप्पण 1 :** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है | **टिप्पण 2 –** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है |	

परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो |	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।**	**प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा ।**
(9)	**(10)**	**(11)**
दो वर्ष | **टिप्पण:** केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण होगा |	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदाधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर या बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा,- (क) मूल कैडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती होने वालो के लिए निर्धारित अर्हताएं और अनुभव रखता हो |	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा	
(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल है :- 1. अपर निदेशक की पंक्ति के अधिकारी (प्रशासन), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली — अध्यक्ष ; 2. संयुक्त निदेशक की पंक्ति के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली — सदस्य ; 3. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय सदस्य ; 4.सहायक निदेशक (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, दिल्ली — सदस्य		पद पर भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना नहीं आवश्यक है	

[फा. सं. ए 12015/22/2017 स्था. (भाग1)]

अशोक कुमार पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th June, 2026

G.S.R. 130.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Disease Delhi Junior Translator (Hindi) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translation Officer in the National Centre for Disease Control under the Directorate General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Centre for Disease Control, Junior Translation Officer (Group ‘B’ Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translation Officer.	2* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years of age (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issue by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(a) (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (ii) Master's degree from a recognised University in English, with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iii) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or (iv) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at degree level; or (v) Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; and (b) recognised diploma or certificate course in translation from Hindi to English and vice-versa or two years experience of translation work from Hindi to English and vice-versa in the Central Government or State Government or Union territory administrations office, including Government of India undertakings. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that the sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers of the Central Government ,- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of the rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi -Chairperson; 2. Officer of the Rank of Joint Director, National Centre for Disease Control, Delhi –Member; 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Service –Member; 4. Assistant Director (Administration) or Administrative Officer, National Centre for Disease Control, Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12015/22/2017-Estt(Part1)]

ASHOK KUMAR PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 131.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचार रोग संस्थान, (वर्ग 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उनका संबंध वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक/ प्रयोगशाला सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग

नियंत्रण केन्द्र में प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, प्रयोगशाला सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से(13)में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रयोगशाला सहायक	**41*** (2026) *कार्यभार के आधार	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25,500–81,100 रु.)	अचयन पद	18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए	(क) अर्हताएं- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या जैव रसायन या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जैव प्रौद्योगिकी या

	पर परिवर्तन किया जा सकता है।					अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियो के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	प्राणी विज्ञान या रसायन से विज्ञान में स्नातक। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यार्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति व्यक्तियों के दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्तिथियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और	प्रोन्नति द्वारा: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900–63,200 रु.) में	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने	लागू नहीं होता।

	के लिए दो वर्ष। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित परिवीक्षा की अवधि को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	के ऐसे कीट संग्रहक जिन्होंने उस ग्रेड में 8 वर्ष की सेवा की हो । टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हों, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: -: i. अपर निदेशक रैंक का अधिकारी,राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – अध्यक्ष ii. संयुक्त निदेशक रैंक का अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – सदस्य iii. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या सहायक निदेशक (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: i. अपर निदेशक रैंक का अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – अध्यक्ष ii. संयुक्त निदेशक रैंक का अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – सदस्य iii. उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक या सहायक निदेशक (प्रशासन) या प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली – सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/10/2017-स्था. (भाग- I)]

अशोक कुमार पाल, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2026

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Diseases (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Senior Laboratory Assistant / Laboratory Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Assistant, in the National Centre for Disease Control under the Directorate General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1.Short title and commencement. -

(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Centre for Disease Control, Laboratory Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix .- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Laboratory Assistant.	41* (Forty one)* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100).	Non-selection.	Between 18 and 27years of age. (Relaxable for departmental candidates upto the age of forty years in accordance with	**(a) Qualifications:** Bachelor of Science with Biology or Biochemistry or Microbiology or Bio technology or Zoology or

					the instruction or orders issued by the Central Government from time to time). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Chemistry from a recognized university. (b) Experience : Two years experience from the Government recognised Laboratory. **Note 1:** Qualifications are relexable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** Qualifications regarding experience are relexable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates of these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(i) fifty per cent by promotion; and (ii) fifty per cent by direct recruitment.	By promotion; from Insect Collectors in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with eight years' regular service in the grade. Note: Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Officer of the rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi - Chairperson; 2. Officer of the Rank of Joint Director, National Centre for Disease Control, Delhi – Member; 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Service or Assistant Director (Administration) or Administrative Officer, National Centre for Disease Control, Delhi -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Officer of rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi - Chairperson; 2. Officer of the rank of the Joint Director, National Centre for Disease Control, Delhi - Member. 3. Deputy Director (Administration), Directorate General of Health Service or	Not applicable.

				Assistant Director (Administration) or Administration Officer, National Centre for Disease Control, Delhi - Member.	

[F. No: A-12018/10/2017-Estt. (Part1)]

ASHOK KUMAR PAL, Under Secy.

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

(ब्रह्मपुत्र बोर्ड)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 132.— ब्रह्मपुत्र बोर्ड, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से, ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में ब्रह्मपुत्र बोर्ड (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2023 का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड में वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, वैयक्तिक सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता- वह व्यक्ति, -**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां अध्यक्ष, ब्रह्मपुत्र बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके केंद्रीय सरकार से परामर्श करके, इन विनियमों के निजी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वैयक्तिक सहायक	2* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	भारत सरकार के समूह 'ख' पद के समकक्ष	स्तर-6 (35,400-112,400/- रूपया)	लागू नहीं होता।	18 से 30 वर्ष के बीच। (केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में चालीस वर्ष तक की छूट दी जा सकती है।) **नोट:** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहुल और स्पीति जिले और चंबा जिले के पांगी उपमंडल, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विहित की गई अंतिम तारीख।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगीं या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धतिःभर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष; और	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण.-** सीधे भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित परिवीक्षा अवधि	सीधी भर्ती। **टिप्पणी.-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति, या लंबी बीमारी, अध्ययन हेतु

(ii) निम्नलिखित मापदंडों के साथ कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण: श्रुतलेख: 100 शब्द प्रति मिनट की दर से 10 मिनट लिप्यांतरण: 40 मिनट (अंग्रेजी) 55 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)।		को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण होगा।	अवकाश या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण रिक्तियां केंद्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों, जो नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अहर्ताएं हैं, में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जा सकता है

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण संबंधी विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे: (1) उप सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड या निदेशक या उप सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय - अध्यक्ष; (2) कार्यपालक इंजीनियर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड - सदस्य; और (3) अवर सचिव, ब्रह्मपुत्र बोर्ड या अवर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. A-12018/7/2023-ई-III]

रवि रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

(BRAHMAPUTRA BOARD)

New Delhi, the 9th July, 2026

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (c) of sub-section (2) of section 29 of the Brahmaputra Board Act, 1980 (46 of 1980) and in supersession of the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board (Group 'B' Post) Recruitment Regulations, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the

Brahmaputra Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Personal Assistant in the Brahmaputra Board, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Brahmaputra Board, Personal Assistant (Group 'B' Post) Recruitment Regulations, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.

2. The number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax. – Where the Chairman, Brahmaputra Board is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, in consultation with the Central Government, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age -limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**
(1)	**(2)**	**(3)**
Personal Assistant.	2* (2026) *Subject to variation dependent on work load.	Equivalent to Group 'B' post to the Government of India.

Level in pay matrix.	**Whether selection post or non-selection.**	**Age- limit for direct recruits.**
(4)	**(5)**	**(6)**
Level-6 (Rs.35400 – 112400).	Not applicable.	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note.-** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications specified for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or university; and (ii) pass in skill test with following norms: Dictation: 10 minutes @ 100 words per minute Transcription: 40 minutes (English). 55 minutes (Hindi) (On Computer).	Not applicable.	Two years. **Note.-** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Direct recruitment. **Note.-**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits at column (7).	Not applicable.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Deputy Secretary, Brahmaputra Board or Director or Deputy Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti – Chairman; (2) Executive Engineer, Brahmaputra Board – Member; and (3) Under Secretary, Brahmaputra Board or Under Secretary, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti – Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/7/2023-E-III]

RAVI RANJAN, Under Secy.

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 133.— सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु अधोसूचित सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के अधिकारी होने के नाते, पूर्व में नियुक्त संपदा अधिकारी के स्थान पर नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु संपदा अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती है, और उक्त अधिकारी उक्त तालिका के कॉलम (2) की तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक स्थानों के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा संपदा अधिकारी को दिए गए दायित्वों को पूरा करेंगे।

अधिकारियों का नाम और पदनाम		सरकारी स्थान की श्रेणी	कार्यकाल
क्र.सं.	1	2	3
i.	श्री बिपलब पाल, सहायक भू-सम्पदा प्रबन्धक, भू-सम्पदा प्रभाग.	कोलकाता गोदी प्रणाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रबंधन के तहत और उसके अधीन सभी भूमि और परिसर।	पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे सेवा में बने रहते हैं, जो भी पहले हो।
ii.	श्री रूपेश कुमार साहू, कार्यपालक अभियंता यांत्रिक व विद्युत अनुयंत्रण विभाग.	-वही-	-वही-
iii.	श्री सौदीप दे, वरिष्ठ सहायक भू-सम्पदा प्रबन्धक (विधि), विधि प्रभाग.	-वही-	-वही-
iv.	श्री चिरत्रांजन बेहरा, सहायक स्थापना अधिकारी यांत्रिक व विद्युत अभियंत्रण विभाग.	-वही-	-वही-
v.	श्री मनोज दत्ता, सहायक भू-सम्पदा प्रबन्धक श्रेणी-I, भू-सम्पदा प्रभाग.	-वही-	-वही-

2. उक्त नियुक्तियाँ राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी।

[फा. सं. ए- -12011/4/2019-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

New Delhi, the 13th July, 2026

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 (Act No. 40 of 1971), the Central government here by appoints the officers mentioned in the column(1) of the Table below, being officers of the Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata., to be Estate Officers for the purpose of said Act in addition to and not in supersession of the Estate Officer previously appointed, and the said Officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on the "Estate Officer" by or under the said Act, within the local limits of their respective jurisdictions in respect of the Public Premises specified in the corresponding entry in column(2)of the said Table:

Name and Designation of Officer(s)		Categories of Public Premises	Tenure
Sl. No.	**1**	**2**	**3**
i.	Shri Biplab Paul, Asst. Estate Manager, Estate Division.	All lands and premises belonging to and under the ownership, control and management of the Kolkata Dock System of Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata.	For a period of five years or till they remain in service, whichever is earlier.
ii.	Shri Rupesh Kumar Sahu, Executive Engineer, M&EE Department.	-Do-	-Do-
iii.	Shri Soudip Dey, Sr. Asst. Estate Manager(Legal), Legal Division.	-Do-	-Do-
iv.	Shri Chittaranjan Behera, Asst. Establishment Officer , M&EE Department.	-Do-	-Do-
v.	Shri Manoj Dutta, Asst. Estate Manager Gr.I, Estate Division.	-Do-	-Do-

2. The said appointments shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

[F. No. A-12011/4/2019-PE-II]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.25 15:52:18 +05'30'